

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265602
CG-DL-E-21082025-265602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3723]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3723]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3827(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज/किमी
(1)	(2)	(3)
नया सारा-11	म्याजलार - जैसलमेर खंड (राजस्थान राज्य में)	(98.350 किमी)

[फा. सं. एनएच- 14013/15/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3827(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage/Km.
(1)	(2)	(3)
New NH-11	Myajlar - Jaisalmer Section (In the State of Rajasthan)	(98.350 Km.)

[F. No. NH-14013/15/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3828(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 21 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"21.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किमी 364.000 से किमी 396.000 (किशनगढ़ से अजमेर खंड), किमी 0.00 से किमी 59.00 तक और किमी 263.500 से किमी 388.000 तक (अजमेर – उदयपुर खंड) और किमी 177.000 से किमी 260.100 (गोमती का चौराहा – उदयपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11 [किमी 42.525 से किमी 228.000 तक (उ. प्र./राजस्थान सीमा – भरतपुर – महुआ – जयपुर) और किमी 246.200 से किमी 298.075 (जयपुर – रींगस) तक खंड को छोड़कर], रा. 11-ए [किमी 62.100 - 0.000 (मनोहरपुर – दौसा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11-ए विस्तार [किमी 0.000 - 83.453 (दौसा – लालसोत-खौतुन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11बी [किमी 0.00 से किमी 186.000 (लालसोत – करौली – बारी – धौलपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 11सी, सं. 12 [रा. 76 पर किमी 18.700 से किमी 165.000 से कोटा बाइपास जंक्शन तक (जयपुर – टोंक – देवली - कोटा) और किमी 299.000 से किमी 346.540 (दाराह – झालावाड़ – तीनधार खंड) और किमी 346.540 से किमी 412.000 (झालावाड़ – राजस्थान/म. प्र. सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 14 [किमी 0.000 से किमी 244.000 (ब्यावर - पाली – पिंडवाड़ा) और किमी 246.800 से किमी 306.000 (पिंडवाड़ा – राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 15 [किमी 0.000 से किमी 123.410 और किमी 160.700 (बाइपास का डिजाइन चैनेज किमी 164.942) से किमी 297.200 (जैसलमेर – बाड़मेर – संचोर – गुजरात सीमा खंड (गांधव पुल तक) तक खंड को छोड़कर], किमी 163.400 से किमी 323.857 (फालोदी – जैसलमेर खंड) और किमी 4.200 से	राजस्थान राज्य सरकार।

किमी 163.500 (बीकानेर – फालोदी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 65 [किमी 0.000 से किमी 154.141 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासर), किमी 45.400 से किमी 171.170 (सालासर - नागौर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ तक खंड को छोड़कर), सं. 89, सं. 90, सं. 112 [किमी 0.000 से किमी 225.615 (बाड़ – बिलाड़ा - जोधपुर – पचपादरा खंड) और किमी 254.800 से किमी 328.900 (बागुंडी – बाड़मेर खंड) तक को छोड़कर], सं. 113 [किमी 80.00 से किमी 267.000 (प्रतापगढ़ – पादी – दाहोद) तक खंड को छोड़कर], सं. 116 (टोंक – सवाईमाधोपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 11 [म्याजलार - जैसलमेर खंड को छोड़कर (98.350 किमी.)], नई रारा सं. 25 वि., नई रारा सं. 54, नई रारा सं. 58 विस्तार (पुगनी राग सं. 76ए), नई राग सं. 158, नई राग सं. 162ए, नई राग सं. 162 विस्तार, नई राग सं. 168ए, नई राग सं. 248ए, नई राग सं. 311, नई राग सं. 325, नई राग सं. 458, {किमी 00.000 से किमी 223.210 और किमी 257.105 से किमी 300.000 तक को छोड़कर}, नई रारा सं. 552 विस्तारित, नई रारा सं. 709 विस्तार, नई रारा सं. 921, नई रारा सं. 927ए और नई रारा सं. 954 के उतने भाग जो राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा. सं. एनएच- 14013/15/2025-पी एंड एम]
शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 3483 (अ), तारीख 29 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3828(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
21	So much of National Highway No.8 [excluding from Km. 364.000 to Km. 396.000 (Kishangarh to Ajmer section), from Km. 0.00 to Km. 59.00 and from Km. 263.500 to Km. 388.000 (Ajmer-Udaipur section) and from Km. 177.000 to Km. 260.100 (Gomti ka Chauraha-Udaipur section)], No.11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from Km.246.200 to Km. 298.075 (Jaipur-Reengus)], NH 11-A[excluding Km. 62.100 - 0.000 (Manoharpur- Dausa section] No.11-AExtension [excluding Km. 0.000 -83.453(Dausa-LalsotKhautun Section] No.11B [excluding from Km 0.00 to Km. 186.000 (Lalsot-Karauli- Bari- Dholpur)], No.11C, No.12 [excluding from Km.18.700 to Km.165.000 to Junction of Kota bypass on NH 76 (Jaipur-Tonk-Deoli-Kota) and from Km. 299.000 to 346.540 (Darah-Jhalawar Teendhar Section) and from Km.346.540 to Km. 412.000 (Jhalawar-Rajasthan/Madhya Pradesh border)], No.14 [excluding from Km.0.000 to Km.244.000 (Beawar-Pali Pindwara) and from Km.246.800 to Km.306.000 (Pindwara - Rajasthan/Gujarat Border section)], No.15 [excluding from Km. 0.000 to 123.410 and from Km. 160.700 (Design Chainage of Bypass Km. 164.942) to Km. 297.200 {Jaisalmer- Barmer- Sanchor[1]Gujarat Border (upto Gandhav Bridge) section}], from Km. 163.400 to Km. 323.857 (Phalodi- Jaisalmer section) and from Km. 4.200 to Km. 163.500 (Bikaner Phalodi section)], No.65 [excluding from Km. 0.000 to Km. 154.141 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar), from Km. 45.400 to 171.170 (Salasar- Nagaur Section)], No. 71 B, No.79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No.89, No.90, No.112 [excluding from Km. 0.000 to Km. 225.615 (Bar-Bilara Jodhpur- Pachpadra section)	State Government of Rajasthan

and from Km. 254.800 to Km. 328.900 (BagundiBarmer section)] No. 113 [excluding from Km. 80.00 to Km. 267.000 (Pratapgarh- Padi-Dahod)], No. 116 [excluding Ja-Sawaimadhopur section)] , <i>new NH No. 11 [excluding from Myajlar - Jaisalmer Section (98.350 Km.)]</i> , new NH No. 25 extn, new NH No. 54, new NH No. 58 Extn (old NH No. 76A), new NH No. 158, new NH No. 162A, new NH No. 162 Extn, new NH No. 168A, new NH No. 248A, new NH No. 311, new NH No. 325, new NH No. 458 {excluding Km 00.000 to Km. 223.210 and form Km. 257.105 to Km. 300.000}, new NH No. 552 Extended, new NH No. 709 Extn, new NH No. 921, new NH No. 927A and new NH No. 954 as are situated within the State of Rajasthan.	
--	--

[F. No. NH-14013/15/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3483(E), dated the 29th July, 2025.